ज्ञापांक - 1047 (6) दिनांक - 28.2.17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 22.02.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत डुमरिया से बेलाघाट (झारखण्ड सीमा) भाया काचर पथ के कि0मी0 0.00 से 9.28 में पथ संधारण कार्य सहित आई0आर0क्यू0पी0/उन्नयन कार्य वर्ष 2014–15 के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक–6603(ई0) दिनांक 04.10.2016 द्वारा संसूचित निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक–2238(अनु0) दिनांक 18.10.2016 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	डुमरिया से बेलाघाट भाया काचर पथ के कि0मी0 0.00 से 9.28 में पथ संधारण कार्य सहित आई0 आर0 क्यू0 पी0/उन्नयन कार्य वर्ष 2014–15
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, शेरघाटी।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹1640.32 लाख। विभागीय पत्रांक–11464(एस) दिनांक 28.11.2014
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	अप्राप्त।
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹716.75769 लाख।
2.6	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (CMBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	18.08.2016
2.8	प्राप्त निविदा की संख्या	:	09 (नौ) अदद यथाः–

(i) Koleshwari Infracons Pvt. Ltd. Holding No.80, Ward-4, Raman Sadna, Near Bypass Overbridge, Aurangabad.

(ii) M/s Indian Electrical Services Byepass Road, Abadganj, Daltonganj, District-Palamau, Jharkhand.

(iii) Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd. Tata Road, Chaibasa, West Singhbhum, Jharkhand.

(iv) Mamrej Construction Pvt. Ltd. Village-Ganeshpur, P.O. Mamrejpur, Chenari, Rohtas.

(v) Manisha Construction At+P.O. Dobhi, Gaya.

(vi) Mritunjay Kumar Singh Village+P.O. Imamganj, Gaya, Bihar.

(vii) M/s Kalyani Construction, New Area, Bisar Tank Road, Gaya.

(viii) M/s Shanti Construction Jay Prakash Nagar, Karma Road, Aurangabad (Bihar).

(ix) Ramiya Construction Pvt. Ltd.
51, A.P. Colony, Gaya.

2.9 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0–7/निविदा–28/2015–6603(ई0) दिनांक 04.10.2016

2.10 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की संख्या : 07 (सात) अदद यथा:–

(i) Koleshwari Infracons Pvt. Ltd.
Holding No.80, Ward-4, Raman Sadna, Near Bypass Overbridge, Aurangabad.

(ii) M/s Indian Electrical Services
Byepass Road, Abadganj, Daltonganj, District-Palamau, Jharkhand.

(iii) Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd.
Tata Road, Chaibasa, West Singhbhum, Jharkhand.

(iv) Mamrej Construction Pvt. Ltd.
Village-Ganeshpur, P.O. Mamrejpur, Chenari, Rohtas.

(v) Manisha Construction
At+P.O. Dobhi, Gaya.

(vi) Mritunjay Kumar Singh
Village+P.O. Imamganj, Gaya, Bihar.

(vii) Ramiya Construction Pvt. Ltd.
51, A.P. Colony, Gaya.

2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का निविदित दर निम्नरूपेण है :–

क्रमांक	निविदाकरों का नाम	निविदित दर
1	Koleshwari Infracons Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
2	M/s Indian Electrical Services	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
3	Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
4	Mamrej Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
5	Manisha Construction	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
6	Mritunjay Kumar Singh	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
7	Ramiya Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।

3. **<u>मुख्य अभियंता का अनुशंसा:</u>**

विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित।

4. विषयांकित कार्य हेतु प्रथम बार दिनांक 04.12.2014 को प्राप्त निविदा में न्यूनतम निविदाकार Santosh Kumar Singh को उनके उद्धृत दर (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) यानि ₹7,85,43,624.00 पर कार्य आवंटित की गयी थी जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी का पत्रांक–80 दिनांक 02.03.2015 के द्वारा Letter of Acceptance जारी किया गया एवं संवेदक संतोष कुमार सिंह को Performance Security की राशि ₹42,90,000.00 जमा करते हुए इक्कीस दिनों के भीतर एकरारनामा करने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में संवेदक संतोष कुमार सिंह के पत्रांक–शून्य दिनांक 14.03.2015 के द्वारा कार्यपालक अभियंता को सूचित किया गया कि उक्त पथ में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल इमामगंज द्वारा मरम्मति मद से एकरारनामा कर दूसरे संवेदक से कार्य कराया जा रहा है। अतः उक्त पथ का ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल इमामगंज से Handover पथ प्रमंडल शेरघाटी में करने के पश्चात् एकरारनामा करने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया।

4.1 उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी के पत्रांक–267 दिनांक 25.05.2015 के द्वारा संवेदक को सूचित किया गया कि उक्त पथ का हस्तांतरण ग्रामीण कार्य विभाग से पथ प्रमंडल शेरघाटी में कर लिया गया है। अतः अविलम्ब Performance Security जमा कर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ किया जाय। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी के पत्रांक–313 दिनांक 19.06.2015 एवं पत्रांक–348

दिनांक 02.07.2015 के द्वारा संवेदक संतोष कुमार सिंह को स्मारित भी किया गया। इतने स्मारों के बावजूद संवेदक संतोष कुमार सिंह द्वारा एकरारनामा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी के कार्यालय आदेश संख्या–23 दिनांक 27.07.2015 के द्वारा संवेदक संतोष कुमार सिंह के पक्ष में उक्त कार्य आवंटन को रद्द कर दिया गया।

4.2 उक्त के आलोक में संवेदक संतोष कुमार सिंह, गया द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग पटना को पत्रांक–शून्य दिनांक–28.07.2015 के द्वारा अभ्यावेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त पथ का ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में Handover के पश्चात् दिनांक 27.05.15 को मुझे एकरारनामा करने के लिए पत्र दिया गया। इसके पश्चात् एकरारनामा करने के लिए मैंने दिनांक 11.06.2015 को कार्यालय में सभी कागजात एवं ₹3406000/– का NSC एवं उसका डिटेल कार्यालय में जमा कर दिया हूँ तथा शेष रुपये ₹900000/– की राशि का NSC के लिए इसी प्रमंडल के अन्तर्गत दिनांक 04.12.2014 को जी०टी० रोड, डोभी से घोराघाट पथ की निविदा नें जमा ₹2099000/– का NSC की मांग विभाग से की गई कि उक्त पथ में निविदा डाले हुए लगभग 6 माह से अधिक हो गया है। मेरा Bid Validity निविदा में 120 दिन ही था। इसलिए मेरा NSC ₹2099000/- में से उक्त पथ के एकरारनामा में ₹900000/– NSC रखकर शेष NSC लौटाया जाय एवं उक्त पथ का एकरारनामा किया जाय। लेकिन कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों से जानकारी लेकर एकरारनामा किया जाएगा। परन्तु आज तक डोभी से घोरघाट पथ में NSC ₹2099000/– का नहीं लौटाया गया है न ही एकरारनामा किया गया एवं आवंटित कार्य डुमरिया से बेलाघाट (झारखंड) भाया काचर को रद्द करने की अनुशंसा कर दी गयी है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

4.3 निविदाकार संतोष कुमार सिंह द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No-13274/2015 में दिनांक 26.10.2016 को अंतिम रूप से पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

"In the view of the above facts and considering that substantial amounts available with the respondent no.6 with respect to the petitioner which he chose not to refund to the petitioner despite specific condition of the ITB under Clause 16.4 that the earnest money of unsuccessful bidders will be returned within 28 days of the end of the bid validity period, at the very least goes against the right of the respondents for forefeiture of the EMD of the petitioner in the present matter. The respondents having acted in an inequitable manner by with holding the EMD of the petitioner beyond the period provided by clause 16.4 of the ITB, they may not be permitted to have the benefit of forfeiture of the bid security of the petitioner in the present matter.

In the light of the aforesaid discussions, the writ application is partly allowed. While this Court does not interfere with the order dt. 27.07.2015 cancelling the work allotment of the petitioner, so far as the letter dt. 30.07.2015 forefeiting the earnest money of Rs. 17,36,000/- of the petitioner is concerned, the same is quashed and the respondents are directed to refund the said amount within four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

Learned senior counsel for the petitioner at this stage submits that the petitioner is willing to do the work under the NIT of 2014 at the rates which had been tendered in the year 2014 which would be much lower that the rates at the present time. In the public interest, this Court leaves it open to the respondents to accept such offer of the petitioner which does appear to be beneficial to the public exchequer. Let the respondents consider such offier if permissible."

4.4 उक्त न्यायादेश के आलोक में वादी निविदाकार संतोष कुमार सिंह, गया का पत्रांक–शून्य दिनांक 19.01.2017 जो कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी को संबोधित है, के द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित पथ कार्य का जो भी न्यूनतम दर होगा उसपर कार्य करने को मै आज भी तैयार हूँ। अगर आपके द्वारा मुझसे कार्य कराने की इच्छा नहीं है तो मेरा जब्त किया गया अग्रधन की राशि चार सप्ताह के अन्दर लौटाया जाय।

5. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णयः</u>

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–2238 (अनु0) दिनांक 18.10.2016 से प्राप्त मुख्य अभियंता के अनुशंसा एवं **CWJC No-13274/2015** में दिनांक 26.10.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में विभागीय निविदा समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

5.2 विषयांकित कार्य हेतु पूर्व में दिनांक 04.12.2014 को आमंत्रित निविदा में परिमाण विपत्र की राशि ₹8,67,65,138.00 थी जबकि वर्त्तमान में दिनांक 18.08.2016 को आमंत्रित निविदा में परिमाण विपत्र की राशि ₹7,16,75,769.00 ही है। उक्त दोनों निविदा में न्यूनतम उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर से 10% कम है। स्पष्टतः वर्त्तमान निविदा की राशि पूर्व की निविदा की राशि से कम है। ऐसी स्थिति में वादी निविदाकार संतोष कुमार सिंह को विषयांकित कार्य को आवंटित न कर उनके द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि को लौटाते हुए दिनांक 18.08.2016 को प्राप्त पुनर्निविदा के आधार पर कार्य आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर ली जाय।

(भवानी नन्दन) मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता) अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः प्र07/ निविदा–28/2015 1047 (E) पटना, दिनांक 28/2/17

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।